[This question paper contains 7 printed pages.]

Your Roll No.

R

3410

LL.B.

Paper LB-3032--LABOUR LAW-I

Time: 3 Hours Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note: Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

 All Non-Gazetted Government Officers employed under the Government of Haryana except the Executive Officers of the Police and Prisons Department formed a Union. The objects of the Union are beneficient and ameliorative in character, designed along the lines of promoting the welfare of the members in multiple directions. The Union represented by ten of its members applied to the Registrar of Trade Unions for registration as a Trade Union under The Trade Unions Act, 1926. Is this Union eligible for registration as a Trade Union under the Act ? Discuss.

हरियाणा सरकार के अधीन पुलिस तथा कारागार विभाग के कार्यकारी अधिकारियों के अतिरिक्त सभी गैर-राजपत्रित सरकारी अधिकारियों ने एक यूनियन का गठन किया। यूनियन के उद्देश्य परोपकारी तथा सुधारक प्रकृति वाले हैं, जिनको सदस्यों के बहुदिश कल्याण को बढ़ाने के हिसाब से निर्धारित किया गया है। यूनियन ने अपने दस सदस्यों के प्रतिनिधित्व में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु ट्रेड यूनियन के रिजिस्ट्रा को आवेदन प्रस्तुत किया। क्या यह यूनियन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र है? विवेचन कीजिए।

2. Discuss the law with regard to the tort of conspiracy and the scope of the immunity granted to registered Trade Unions, their office bearers and members under Section 18 of the Trade Unions Act, 1926 in the light of the judicial decisions.

षड्यंत्र के अपकृत्य के बारे में और न्यायिक विनिश्चयों के सन्दर्भ में ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926 की धारा 18 के तहत रिजस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों, उनके पदाधिकारियों तथा सदस्यों को मंजूर की गई उन्मुक्ति की परिसीमा के बारे में विवेचन कीजिए। 3. "The words used in the definition of 'Industry', Section 2(i) of the Industrial Disputes Act, 1947 are prima-facie of the widest import. Even so, it is wrong to spread the net too wide because such a wide meaning appears to overreach the objects for which the Act was passed."

In the light of the above statement discuss the definition of Industry under Section 2(i) of the Act.

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(i) में 'उद्योग' की परिभाषा में प्रयुक्त शब्दावली प्रथमदृष्ट्या व्यापकतम अभिप्राय रखने वाली है। तथापि जाल को बहुत अधिक फैलाना गलत है, क्योंकि इतना व्यापक अर्थ उन उद्देश्यों से आगे निकलता प्रतीत होता है जिनके लिए अधिनियम पारित किया गया था।"

उपर्युक्त कथन के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 2(i) के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा का विवेचन कीजिए।

- 4. Critically examine the definition of 'Workman' under Section 2(s) of the I. D. Act, 1947 in the light of judicial decisions and decide whether the following are covered by the said definition of 'Workman':
 - (a) A medical *presentative in a pharmaceutical company getng a salary of ₹ 10,000 p.m.
 - (b) A Deposit Clector employed in a Bank.

न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(s) के अन्तर्गत "कर्मकार" की परिभाषा की समीक्षात्मक जाँच कीजिए तथा विनिश्चय कीजिए कि क्या निम्नलिखित 'कर्मकार' की परिभाषा के अन्तर्गत समाहित होते हैं :

- (a) ₹ 10,000 प्रतिमास पाने वाला किसी फार्मास्यूटिकल कम्पनी
 में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव।
- (b) बैंक में नियोजित डिपोजिट कलक्टर।
- 5. The definition clause in Section 2(k) does not contain any words of qualification or restriction in respect of "any person" still the said expression can not be given its ordinary meaning. Discuss the definition of 'Industrial Dispute' in Section 2(k) of the I. D. Act, 1947 in the light of this statement and also discuss whether the dispute of a single workman sponsored by the union of another establishment belonging to the same industry is an industrial dispute or not.

धारा 2(k) में परिभाषा खण्ड में "कोई व्यक्ति" के बारे में किसी विशेषक या निर्बन्धनगरी शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी उक्त अभिव्यक्ति के इसका साधारण अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता। इस किन को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 19 की धारा 2(k) में औद्योगिक

विवाद की परिभाषा का विवेचन कीजिए तथा इसका विवेचन भी कीजिए कि क्या उसी उद्योग से सम्बन्धित अन्य स्थापना की यूनियन द्वारा प्रायोजित एकल कर्मकार का विवाद औद्योगिक विवाद है या नहीं है?

- 6. (a) "A legal strike may be unjustified and an illegal strike may be justified." Discuss the legal validity of this statement in the context of the law relating to strikes in India.
 - (b) Are workman entitled to wages for participation in legal/illegal strikes?
 - (a) "कोई विधि-सम्मत हड़ताल औचित्यविहीन तथा विधि-विरुद्ध हड़ताल औचित्यपूर्ण हो सकती है।" भारत में हड़ताल सम्बन्धी विधि के प्रसंग में उक्त कथन की विधिक मान्यता का विवेचन कीजिए।
 - (b) क्या वैध/अवैध हड़तालों में भाग लेने के लिए कर्मकार मजदूरी के हकदार हैं?
 - 7. An industrialist instals a computer in his industry. There upon he terminates the services of A, a stenographer appointed 4 months ago in probation of 1 year. He also refuses to renew the contract of employment of B, a clerk, appointed for a fixed period of 1 year. A and B demand retrenchment compensation. Discuss the approach of the [P. T. O.

Supreme Court for interpreting the meaning of 'retrenchment' in S. 2(00) of the I. D. Act, 1947 and decide the cases of A and B.

एक उद्योगपित अपने उद्योग में कम्प्यूटर संस्थापित करता है। इस पर वह 1 वर्ष की परिवीक्षा पर 4 मास पहले नियुक्त स्टेनोग्राफर A की सेवा समाप्त कर देता है। वह 1 वर्ष की नियत अविध हेतु नियुक्त क्लर्क B की रोजगार-संविदा का पुनर्नयन करने से भी इनकार कर देता है। A तथा B छंटनी प्रतिपूर्ति की मांग करते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(00) में "छंटनी" के अर्थ के निर्वचन हेतु उच्चतम न्यायालय के नजरिये का विवेचन कीजिए और A तथा B के केसों का विनिश्चय कीजिए।

- 8. Comment upon any two of the following:
 - (a) The power to lay-off a workman is not inherent in the definition of lay-off under S. 2(kkk) of the I. D. Act, 1947.
 - (b) Powers of the Registrar under Section 8 of theT. U. Act, 1926.
 - (c) Distinction between 'lock-out' and 'closure' under the I. D. Act, 1947.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए :

- (a) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(kkk) के अन्तर्गत कामबन्दी की परिभाषा में किसी कर्मकार के बारे में कामबन्दी की शक्ति निहित नहीं है।
- (b) ट्रेंड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 8 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ।
- (c) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 'तालाबन्दी' और 'बन्दी' के बीच विभेद।